UPFR010000752003

S.s.t. (d.a.a.)/400038/2003 Mohomdabad

State Government Vs. Shyam Singh alias Shyamu

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०),तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

उपस्थितः–शैलेन्द्र सचान -------एच०जे०एस०।J.O.Code–UP 2406

1– विशेष सत्र परीक्षण संख्या–38/2003

राज्य

बनाम

श्याम सिंह उर्फ श्यामू पुत्र बांके लाल शाक्य निवासी ग्राम धारमपुर थाना कोतवाली फर्रूखाबाद।

मु०अ०स०–159/2003

धारा– 302,394 भा०द०सं०

थाना– मोहम्मदाबाद।

जिला फर्रूखाबाद।

UPFR010000782003

S.s.t. (d.a.a.)/400066/2003 Mohomdabad

State Government Vs. Ram Narayan

2– विशेष सत्र परीक्षण संख्या–66/2003

राज्य

बनाम

रामनरायन पुत्र छोटे लाल निवासी बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रूखाबाद।

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.07.28 16:50:44 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मु०अ०स०–159/2003
धारा– 302,394 भा०द०सं०
थाना– मोहम्मदाबाद।
जिला फर्रूखाबाद।

निर्णय

1– थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण श्याम सिंह उर्फ श्यामू व रामनरायन के विरुद्ध धारा– 302,394 भा०द० सं० के अन्तर्गत पृथक पृथक आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, प्रसंज्ञान लेने के पश्चात प्रकरणों को क्रमशः विशेष सत्र परीक्षण सं० 38/2003, विशेष सत्र परीक्षण सं० 66/2003 के रूप में दर्ज किये गये। तदुपरान्त अभियुक्तगण को नकले प्रदान की गयी तथा विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। चूंकि उपरोक्त दोनो प्रकरण एक ही घटना से सम्बन्धित है तथा दोनो पत्रावलियों का साक्ष्य एक ही है इसलिए सुविधा की दृष्टि से दोनो विशेष सत्र परीक्षणों को समेकित करते हुए विशेष सत्र परीक्षण सं० 38/2003 को लीडिग केस बनाया गया तथा साक्ष्य अंकित किया गया, इसलिए दोनो विशेष सत्र परीक्षणों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– वादी उमाकान्त गुप्ता की तहरीर के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21–04–2003 दिन सोमवार को वादी का भाई लक्ष्मीकान्त गुप्ता उर्फ सोहन जोकि दिनेश चन्द्र अग्रवाल के यहां मुलाजिम था तथा मोहम्मदाबाद तगादा वसूल करने हेतु स्कूटर से आया था। यहां से कई दुकानदारो से तगादा वसूल किया जोकि लगभग अस्सी हजार रूपया लगभग था जिसे लेकर वह स्कूटर से फतेहगढ अपने मालिक के पास जमा करने हेतु जा रहा था किन्तु वह रात्रि तक न तो अपने मालिक के पास पहुचे तथा न ही अपने घर पहुचा। रात्रि अधिक होने पर सोहन की पत्नी ने दिनेश अग्रवाल से फोन पर सम्पर्क किया, दिनेश द्वारा भी सोहन के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गयी तब सोहन की पत्नी ने उसे इस बारे में बताया तब वह रात में फतेहगढ आया वहां यह जानकारी मिली कि सोहन का कोई पता नही। वह दिनेश अग्रवाल के घर गया तो पता चला कि वह सोहन की तलास में गए है। तत्पश्चात वह भी सोहन की तलाश में रात में मोहम्मदाबाद आया। अपने रिश्तेदारों से सोहन के बारे में पूछा किन्तु कोई भी जानकारी न मिलने के बाद पुनः सुबह दिनेश अग्रवाल से मिलने फतेहगढ गया, तब उन्होनें कहा कि सोहन का कोई

पता नही चला , न ही अभी तक उसकी कोई सूचना प्राप्त हुयी है तथा उन्होनें यह भी कहा कि हवाई पटटी की तरफ देखते हुए मोहम्मदाबाद जाना। वह अपने साथ बब्लू को लेकर पूंछतांछ करते हुए मोहम्मदाबाद आ रहे थे, जब हवाई पटटी के सामने पहुचे तो वहां पर चार पांच लोग खडे आपस में बाते कर रहे थे तो उसने उनके पास जाकर सोहन के बारे में जानकारी की तब उन्होनें बताया कि हवाई पटटी की झाडियों में एक स्कूटर पडा है जब उन लोगों ने वहां जाकर देखा कि नाली में स्कूटर पडा है तथा 15–20 कदम की दूरी पर सोहन की लाश पडी है।

3– वादी की तहरीर के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में पंजीकृत की गयी। इस मुकदमें की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी तथा विवेचक ने घटना स्थल पर जाकर सम्बन्धित कागजात तैयार किए। विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये । समस्त विवेचना पूर्ण होने के उपरान्त अभियुक्तगण श्याम सिंह उर्फ श्यामू व रामनरायन के विरूद्व पृथक पृथक आरोप पत्र धारा 302,394 भा०द० सं० के अन्तर्गत न्यायालय में प्रेषित किये गये है।

4– अभियुक्तगण श्याम सिंह उर्फ श्यामू व रामनरायन के विरुद्ध धारा 302,394 भा० द० सं० के अन्तर्गत आरोप क्रमशः दिनांक 03–12–2004, 10–10–2011 को इस न्यायालय द्वारा विरचित किये गये। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता, पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार, पी०डब्लू० 3 SI ह्रदयराम यादव , पी०डब्लू० 4CO जितेन्द्र सिंह परिहार ,पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह(पक्षद्रोही) , पी०डब्लू० 6 कन्हैया लाल, पी०डब्लू० 7 से०नि० DSP शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज, पी०डब्लू० 8 से०नि० DSP कमलेश नरायन पाण्डेय को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की तरफ से परीक्षित नही कराया गया है।

6– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है।

क्र० स०	**साक्षी**	**साक्षी का नाम**	**का०स०,प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श स०**
1	पी०डब्लू० 1	उमाकान्त गुप्ता	तहरीर का०स० 5A	प्रदर्श क 1

2	पी०डब्लू० 3	S.I.हृदयराम यादव	चिक एफ०आई०आर० का०स० 4A	प्रदर्श क 2
3	पी०डब्लू० 3	S.I.हृदयराम यादव	कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति का०स० 17A/7	प्रदर्श क 3
4	पी०डब्लू० 3	S.I.हृदयराम यादव	जी०डी० विनिष्ट होने के सम्बन्ध में आख्या का०स० 58A	प्रदर्श क 4
5	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	घटना स्थल का नक्शानजरी का०स० 9A/01	प्रदर्श क 5
6	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	मृतक का पंचायतनामा का०स० 17A/2 लगायत 17A/3 को एस० आई० सुनील कुमार द्वारा तैयार कराना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।	प्रदर्श क 6
7	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	चिटठी सी०एम०ओ०	प्रदर्श क 7
8	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	फोटो नाश	प्रदर्श क 8
9	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	चिटठी आर०आई०एस० आई० सुनील कुमार द्वारा तैयार कराना जिस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की।	प्रदर्श क 9
10	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	घटना स्थल से बरामद माल एक जोडी चमडे की	प्रदर्श क 10

			चप्पल, कैलकुलेटर ,कमल, कंघा, एक शराब की खाली प्लास्टिक की बोतल, एक बैग चौखाना चैन लगा फटा हुआ की फर्द का०स० 6A	
11	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	प्रिया स्कूटर नं० UAN 409 रंग तूतिया को कब्जा लेने की फर्द का०स० 7A	प्रदर्श क 11
12	पी०डब्लू० 4	सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार	फर्द लेने कब्जा खून आलूदा व सादा मिटटी का०स० 8A	प्रदर्श क 12
13	पी०डब्लू० 6	कन्हैया लाल	मृतक लक्ष्मीकान्त उर्फ सोहन लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का०स० 16A को डा० आर०के० सिंह के लिख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है।	प्रदर्श क 13
14	पी०डब्लू० 7	डी०एस०पी० शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज	अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ श्यामू के विरूद्व दाखिल आरोप पत्र का०स० 3A	प्रदर्श क 14
15	पी०डब्लू० 8	डी०एस०पी० कमलेश नरायन पाण्डेय	अभियुक्त रामनरायन के विरूद्व दाखिल आरोप पत्र का०स० 3A	प्रदर्श क 15

7– अभियुक्तगण श्याम सिंह उर्फ श्यामू व राम नरायन के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 06.06.2026 को अंकित किये गये।

7.1 अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ श्यामू ने अभियोजन कथानक को झूठा बताया। साक्षी पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता, पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार व पी०डब्लू० 3 ह्रदयराम यादव के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा है तथा पी०डब्लू० 4 सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर झूठी गवाही दी है तथा इस मुकदमें में झूठा फसाया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह, पी०डब्लू० 6 कन्हैया लाल के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नही कहा है, पी०डब्लू० 7 से०नि० DSP शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज व पी०डब्लू० 8 डी०एस०पी० कमलेश नारायण पाण्डेय के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किए गए है। बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे इस मुकदमें में एस०ओ०जी० कचहरी साइकिल स्टैण्ड से पकडकर ले गयी तथा कई दिन तक बन्द रखने के बाद झूठे मुकदमें में चालान कर दिया।

7.2– अभियुक्त रामनरायन ने अभियोजन कथानक को झूठा बताया। साक्षी पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता, पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार व पी०डब्लू० 3 ह्रदयराम यादव के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ भी नही कहा है तथा पी०डब्लू० 4 सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर झूठी गवाही दी है तथा इस मुकदमें में झूठा फसाया गया है। साक्षी पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह, पी०डब्लू० 6 कन्हैया लाल के साक्ष्य के सम्बन्ध में कुछ नही कहा है, पी०डब्लू० 7 से०नि० DSP शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज व पी०डब्लू० 8 डी०एस०पी० कमलेश नारायण पाण्डेय के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि गलत विवेचना कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किए गए है। बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि उसे इस मुकदमें में गांव बालों की रंजिश के कारण झूठा फसाया गया है।

8– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.04.03 को उसका भाई लक्ष्मीकान्त गुप्ता उर्फ सोहन जो फतेहगढ में जयनरायन वर्मा रोड पर सपरिवार रहता था तथा फतेहगढ दिनेश अग्रवाल की दुकान पर नौकरी करता था व तगादा व वसूली का कार्य करता था । वसूली हेतु वह मोहम्मदाबाद स्कूटर से गया था और लगभग 80 हजार रुपये वसूल कर वापस अपने

मालिक के पास जमा करने जा रहा था। उस दिन शाम को व रात में उसका भाई न मालिक के यहां पहुंचा न ही अपने घर पहुंचा । रात में ही उसके भाई की पत्नी ने दिनेश अग्रवाल से फोन पर सम्पर्क किया उन्होने ने भी सोहन के बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की तब सोहन की पत्नी ने उसे सूचना दी । उसने रात में ही अपने भाई की तलाश एवं जगहों पर पूंछतांछ की लेकिन उसका कोई पता नही चला तब वह दिनेश अग्रवाल से मिला । उन्होने बताया कि मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी की तरफ देखते हुए मोहम्मदाबाद जाना तब वह फतेहगढ से बब्लू को साथ लेकर पूंछतांछ करता हुआ हवाई पट्टी के पास पहुंचा तो 4–5 आदमी खडे होकर आपस में बात चीत कर रहे थे। उसने उनके पास जाकर अपने भाई के बारे मे जानकारी की तो उन्होने बताया कि हवाई पट्टी की झाडी में एक स्कूटर पडा है । उन लोगो ने वहां जाकर देखा तो नाली मे स्कूटर पडा था और 15–20 कदम की दूरी पर उसके भाई सोहन की लाश पडी थी। उसने मोहम्मदाबाद जाकर अशोक कुमार गुप्ता से प्रार्थना पत्र लिखवाकर अपने हस्ताक्षर कर उस प्रार्थना पत्र को कोतवाली मोहम्मदाबाद में दिया। तहरीर पेपर संख्या 5A देखकर कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने अशोक कुमार से बोल कर लिखवाई थी उस पर उसके हस्ताक्षर है इस पर प्रदर्श क 1 डाला गया । उसी दिन पुलिस ने उसके भाई के शव का पंचायतनामा भरकर उसे चीड फाड घर भेजा था । पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर है। पत्रावली पर संलग्न का०स० 5A तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करते हुए प्रदर्श क 1 के रुप में साबित किया है । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

9– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि सोहन लाल पुत्र महेश चन्द्र निवासी गांधी नगर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद को वह हत्या से दो तीन साल पहले से जानता है। उसकी परचूनी की दुकान मोहम्मदाबाद में थी अब भी है । दुकान पर सोहनलाल निरमा पाउडर अपने मालिक दिनेश कुमार की तरफ से उनसे वसूली करते थे और पैसे की वसूली करके ले जाते थे। घटना वाले दिन भी सोमवार को तगादी के लिए आये थे। इनकी मौत की सूचना पर वह मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर गया था। सोहनलाल की लाश हवाई पट्टी की झाडियों में पडी थी। वह जब मौके पर आया तो घटनास्थल पर पुलिस खडी थी। सोहनलाल की लाश पर

चोटो की निशान थे। पुलिस ने पंच नियुक्त किये थे। पंचो में उसे भी पंच बनाया था। उसके हस्ताक्षर बनवाये थे। लाश को सील मोहर कर पोस्ट मार्टम के लिए भेजा गया था। पंचायतनामा पर गवाहन ने अपने दस्तखत की पहचान की । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

10– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 हृदयराम यादव** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.04.03 को वह थाना मोहम्मदाबाद में का०क्र्क के पद कार्यरत था। उस दिन वादी मुकदमा उमाकान्त गुप्ता की लिखित तहरीर प्रदर्श क 1 के आधार पर उसने मुकमदा संख्या159/03 धारा302, 394, IPC बनाम अज्ञात अपने लेख व हस्ताक्षर में पंजीकृत किया था। जिसकी चिक एफ आई आर पत्रावली पर का०स० 4A है इस पर **प्रदर्स क 2** अंकित किया गया। इस मुकदमें का खुलासा उसने उसी दिन रपट संख्या11 समय 7:45 बजे पर किया था। पत्रावली पर का०स० 17A/7 कायमी मुकदमा जीडी की कार्बन प्रति जो उसने मूल के साथ कार्बन लगा कर एक ही प्रकिया में तैयार की थी, जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है इस पर **प्रदर्श क 3** अंकित किया गया। मूल जीडी समयावधि व्यतीत हो जाने के कारण विनिष्ट की जा चुकी है , जिसकी आख्या वह पुलिस कार्यालय फतेहगढ के रिकार्ड कीपर से लेकर आया है । जिसे पत्रावली पर शामिल कर रहा है। जीडी विनष्ट आख्या पत्रावली पर का०स० 58A है इस पर **प्रदर्श क 4** अंकित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

11– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 सी ओ जितेन्द्र सिंह परिहार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 21.04.2003 को वह थाना मोहम्मदाबाद मे प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। दिनांक 22.04.2003 को थाने पर पंजीकृत मु०अ०स० 159/2003 अन्तर्गत धारा394, 302IPC बनाम अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था । जिसकी विवेचना उसके द्वारा सम्पादित की गयी जिसमे दिनांक 22.04.2003 को उसके द्वारा सीडी पर्चा 1 किता किया गया। जिसमें नकल चिक , नकल रपट , व वादी श्री उमाकांत गुप्ता के बयान अंकित किये व घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी

तैयार किया कि जो आज पत्रावली मे दाखिल कागज संख्या 9A/01 के रूप में संलग्न है जिसे साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाया गया। नक्शा नजरी देखकर साक्षी ने कहा नक्शानजरी उसके द्वारा तैयार किया गया था । साक्षी द्वारा नक्शा नजरी पर स्वंय के लेख– हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए **प्रदर्श क 5** के रुप में साबित किया गया।

इस साक्षी द्वारा मृतक का पंचायत नामा उसके द्वारा बोल बोल कर S I सुनील कुमार से लिखाया गया था। कि जो पत्रावली मे दाखिल संख्या 17A/2 व 17A/3 के रूप मे संलग्न है जिसे साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाया गया तो साक्षी ने देखकर कहा यह पंचायतनामा उसके द्वारा बोलकर तैयार कराया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है एवं पंचायतनामा मे संलग्न पेपर रिपोर्ट CMO, फोटोनाश, चिट्ठी RI उसके निर्देशन मे SI सुनील कुमार द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर है जिसकी वह पुष्टि करता है । जिन पर क्रमश **प्रदर्श क 6 लगायत प्रदर्श क 9 तक** डाला गया।

इस साक्षी द्वारा घटनास्थल से बरामद एक जोड़ी चमड़े की चप्पल, कैलकुलेटर, कलम, कंघा एक शराब की खाली प्लास्टिक की बोतल एक बैग , चौखाना चैन लगी कटा हुआ जिसकी तनी मृतक की गर्दन मे दो बार लिपटी हुई थी को कब्जे मे लेकर एक कपड़े मे सील किया गया इसके अलावा एक स्कूटर UAN–409 प्रिया व रंग तूतिया मौके से कब्जे मे लिया एवं मौके से खून आलूदा व सादा मिट्टी अलग अलग डिब्बी मे रखकर सील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया एवं तीनो फर्दे मौके पर तैयार की गई जो पत्रावली मे दाखिल संख्या 6A, 7A, 8A के रूप मे दाखिल है जिन्हे साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा दिखाया गया। तो साक्षी ने कहा कि ये तीनो फर्द उसके निर्देशन मे तैयार की गई थी जिन पर उसके हस्ताक्षर है जिनकी वह पुष्टि करता है । इनपर क्रमश **प्रदर्श क–10, क–11, क–12** डाले गये ।

इस साक्षी द्वारा उसी दिन फर्द व पंचायतनामा के गवाह श्री दिनेश कुमार गुप्ता, श्री अशोक कुमार गुप्ता के बयान अंकित किये व पंचायत नामा के गवाह संजीव गुप्ता, अनिल गुप्ता के बयान अंकित किये गये। दिनांक 23.04.2003 को दूसरा पर्चा किता किया जिसमे अभियुक्तगणो की पतारसी व सुरागसी की गई दिनांक 24.04.2003 सीडी पर्चा 03 किता किया, जिसमें गवाह श्रीमती शिखा गुप्ता के बयान अंकित किये एवं बयान दिनेश अग्रवाल के अंकित किये और दिनांक 25.04.2003 को चौथा पर्चा किता किया जिसमे

बयान वैभव प्रताप उर्फ डब्बू के अंकित किये दिनांक 26.04.2003 को पांचवां पर्चा किता किया जिसमें मृतक सोहन गुप्ता की पंचायतनामा व पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन कर उल्लेख सीडी में अंकित किया। दिनांक 30.04.2003 को व सीडी 6 व दिनांक 05.05.2003 को सीडी 7 व 10.05.2003 को सीडी 8 को किता किया एवं दिनांक 18.05.2003 को सीडी पर्चा 9 किता किया जिसमें दो साक्षी श्री सतीश व फूलसिंह के बयान अंकित किये । दिनांक 28.05.2003 सीडी 10 व 06.06.2003 सीडी 11 किता किया गया एवं दिनांक 16.06.2003 को सीडी 12 किता की जिसमें साक्षी राजेश के बयान अंकित किये और दिनांक 23.06.2003 को सीडी पर्चा 13 किता किया जिसमें गिरफ्तार अभियुक्त श्याम सिंह के बयान अंकित किये जिसने घटना स्वीकार की और साथी अभियुक्त संजीव कटियार और रामनारायण के साथ मिलकर दिनांक 21.04.2003 को मोहम्मदाबाद फतेहगढ़ रोड पर हवाई पट्टी के सामने सोहन गुप्ता को रोककर उसके पास से 38000/– रूपये लूटना व उसकी हत्या स्वीकार किया दिनांक 01.07.2003 को सीडी पर्चा 14 किता किया एवं दिनांक 07.07.2003 को सीडी 15 किता किया जिसमें अभियुक्तगणों की तलाश अंकित किया। इसके उपरांत उसका स्थानान्तरण हो गया था। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

12– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि इस मुकदमे के मुल्जिम रामनरायन लोधी उसके गांव के है जिनको वह अच्छी तरह जानता पहचानता है। जो आज हाजिर अदालत मौजूद है और उसके साथ एक अन्य अभियुक्त श्याम सिंह है जिसे वह जानता पहचानता नहीं है। उसे नहीं मालूम की रामनरायन लोधी को किस मुकदमे मे आज न्यायालय आये है ।

दिनांक 12.06.03 को उसके गांव के रामनरायन लोधी और उनके साथी श्याम सिंह व संजीव कटियार को लाल रंग की मोटरसाइकिल से उसने अपने गांव में आते हुए व चक्कर लगाते हुए नही देखा था और दिनांक 21.04.03 को उसने रामनरायन लोधी और उनके साथी श्याम सिंह व संजीव कटियार को उसने उसी लाल रंग की मोटरसाइकिल के साथ दोपहर में इन तीनो लोगो को कारगिल पैट्रोल पम्प पर नहीं देखा था और उसने दिनांक 22.04.03 को सोहन गुप्ता की लाश को हवाई हड्डे पर पडे होने के बावत व उसके

बैग से 80000/–रु० निकाल लेने के बाबत अखबार में नहीं पढा था और उसे यह भी नहीं मालूम कि यह लोग पहले भी रोड पर लूट पाट में पकडे जा चुके है और इन्हीं के द्वारा यह घटना कारित की गयी है । अभियोजन की प्रार्थना पर इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व अभियोजन द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

13– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 6 कन्हैयालाल** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह पोस्टमार्टम हाउस फतेहगढ में पोस्टमार्टम सहायक के पद पर सन 1973 से लेकर जून 2013 तक कार्यरत रहा है । इस दौरान डा० आर० के सिंह जिला चिकित्सालय फतेहगढ में तैनात रहे है । इनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस फतेहगढ में लगती थी इनके साथ उसने ड्यूटी के दौरान कार्य किया है । इसलिए उनके लेख व हस्ताक्षर को पहचानता है । यह डाक्टर साहब बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल मे कार्यरत थे। उसकी जानकारी में वर्तमान समय में डा० आर के सिंह कनाडा में निवास कर रहे है । पत्रावली में दाखिल का०स० 16A मृतक लक्ष्मी कान्त उर्फ सोहनलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है । जोकि डा० आर के सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क 1**3 अंकित किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

14– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 7 डी एस पी शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 07.07.03 को वह थाना मोहम्मदाबाद मे एस एच ओ के पद पर कार्यरत था। उसी दिन उसके द्वारा थाना मोहम्मदाबाद मे पंजीकृत मु०अ०स० 159/03 धारा 302, 394IPC बनाम श्याम सिंह उर्फ श्यामू आदि में विवेचना ग्रहण की थी। उसने पूर्व में की गयी विवेचना का सीडी मे अवलोकन किया जिसमें अभियुक्त श्याम सिह की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष अभियुक्त रामनरायन एवं संजीव कठेरिया की गरिफ्तारी शेष है । जिनके विरूद्ध न्यायालय से कुर्की वारंट कराये जायेंगे।इसका उल्लेख सीडी मे किया दिनांक 26.07.03 को सीडी पर्चा 16 किता किया ।जिसमें का० हृदय राम के बयान अंकित किये एवं का० जितेन्द्र कुमार एवं का० महेश चन्द्र , व एस आई सुनील सिंह के बयान अंकित किये। अब तक की की गयी विवेचना व अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ

श्यामू के विरूद्ध बयान गवाहन एवं निरीक्षण घटनास्थल से अपराध धारा 302, 394IPC बनता है और अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ श्यामू के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या 126/03 धारा302, 394IPC में न्यायालय में प्रेषित किया । जो पत्रावली मे दाखिल का०स० 3A के रुप मे संलग्न है जिसे साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाया गया तो साक्षी ने कहा यह उसके द्वारा तैयार किया गया जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है । जिसकी वह पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क 14** अंकित किया गया । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

15– अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 8 डिप्टी एस पी कमलेश नारायण पाण्डेय ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.10.2003 को वह थाना मोहम्मदाबाद में एस एस आई के पद पर कार्यरत था उसी दिन थाना मोहम्मदाबाद मे पंजीकृत मु०अ०स० 159/03 धारा 302, 394IPC की विवेचना उसके द्वारा प्रारम्भ की गयी जिसमें इस अपराध का मुल्जिम रामनरायन पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम बनपोई थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रूखाबाद का रोपकार हाजिरी न्यायालय से प्राप्त हुआ जिसका अवलोकन कर उल्लेख सीडी में अंकित किया एवं पूर्व में की गयी विवेचना का अवलोकन कर एवं गवाहों के साक्ष्य निरीक्षण घटनास्थल इन्जरी रिपोर्ट , पी एम रिपोर्ट व अन्य दीगर प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त रामनरायन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 302, 394IPC का अपराध बखूबी बनता है और अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया । जो आज पत्रावली एस एस टी नम्बर 66/03 में दाखिल का०स० 3A के रुप में संलग्न है । जिसे साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखाया गया तो साक्षी ने कहा यह आरोप पत्र उसके द्वारा तैयार किया गया था जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क 15** डाला गया और दिनांक 13.11.03 को उसके द्वारा एस सी डी पर्चा न० 2 किता की जिसमें इस मुकदमें से संबंधित माल परीक्षण हेतु भेजा गया था । जिसका सीरियल नम्बर 11458 दिनांकित 04.11.03 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ में दाखिल किया । जिसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई । जिसका उल्लेख सीडी में अंकित किया । तदुपरान्त न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर अभियुक्त रामनरायन के बयान जिला जेल फतेहगढ में जाकर अंकित किये और उल्लेख सीडी में किया । बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गयी। बचाव पक्ष द्वारा की गयी

प्रतिपरीक्षा में आए महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख साक्ष्य का विश्लेषण करते समय उचित स्थान पर किया जायेगा।

मैने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन का तर्क

16– अभियोजन द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता , पी०डब्लू–2 संजीव कुमार , व पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया गया है । पी०डब्लू–5 राकेश सिंह द्वारा अभियुक्तगण को घटना के पश्चात घटनास्थल के पास देखा गया था। औपचारिक साक्षीगण गण पी०डब्लू० 3 हृदयराम यादव , पी०डब्लू० 4 जितेन्द्र सिंह परिहार , पी०डब्लू० 6 कन्हैयालाल , पी०डब्लू० 7 शैलेन्द्र सिंह भारद्वाज , पी०डब्लू० 8 कमलेश नरायण पाण्डेय द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए न्यायालय में साक्ष्य दिया गया है । अभियोजन अपना केस साबित करने में सफल रहा है अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाये।

बचाव पक्ष का तर्क

17– बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतक लक्ष्मीकान्त के भाई उमाकात द्वारा एफ आई आर अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी नही हुई है । घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है । अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह द्वारा अभियुक्तगण को दिनांक 21.04.03 को कारगिल पेट्रोल पम्प के पास देखे जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है । अज्ञात बदमाशो द्वारा मृतक के साथ लूटपाट करने के पश्चात उसकी हत्या कर दी गयी । पुलिस द्वारा अपराध कारित करने वाले अपराधियों का पता नही लाया जा सका । हत्या एवं लूट के अपराध का खुलासा करने के उद्देश्यसे पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को प्रस्तुत प्रकरण में झूठा फसाते हुए आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित कर दिया गया । अभियुक्तगण पूर्ण रुप से निर्दोष है उनके द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण

18– प्रस्तुत प्रकरण में यह निष्कर्ष पारित किया जाना है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित

आरोप अन्तर्गत धारा 302,394 भा०द० सं० के तहत युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही।

19– वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 उमाकान्त गुप्ता जोकि मृतक लक्ष्मीकांत गुप्ता का भाई है ने स्वंय को न्यायालय में परीक्षित कराते हुए स्वंय द्वारा दी गयी तहरीर दिनांक 22.04.03 को प्रदर्श क 1 के रुप में साबित किया गया है । वादी मुकदमा पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय की तहरीर एवं न्ययाालय में हुए साक्ष्य में किसी भी अभियुक्तगण को नामित नही किया गया है । वादी द्वारा न्यायालय मे साक्ष्य दिया गया है कि उसका भाई लक्ष्मी कान्त गुप्ता उर्फ शुभम फतेहगढ में दिनेश अग्रवाल की दुकान पर नौकरी करता था तथा दिनेश अग्रवाल की तरफ से तगादा एवं वसूली का कार्य करता था। वसूली हेतु उसका भाई दिनांक 21.04.03 को स्कूटर से मोहम्मदाबाद गया था तथा वहां से 80000/–रु० वसूल कर अपने मालिक के पास जमा करने वापस आ रहा था। वह अपने घर नही पहुंचा तब उसके भाई की पत्नी ने दिनेश अग्रवाल से संपर्क किया । दिनेश अग्रवाल द्वारा उसके भाई की जानकारी होने से अनभिज्ञता प्रक्रट की गयी तब उसके भाई की पत्नी ने उसे सूचना दी । उसने रात में अपने भाई की कई जगह तलाश की किन्तु कहीं पता नही चला। जब वह फतेहगढ से बब्लू को साथ लेकर पूंछतांछ करता हुआ हवाई पट्टी के पास पहुचा तो वहां पर नाली में उसके भाई का स्कूटर पडा मिला तथा स्कूटर से 15–20 कदम की दूरी पर उसके भाई की लाश मिली। वादी मुकदमा पी०डब्लू०१ द्वारा दिये गये साक्ष्य से मात्र यह साबित होता है कि दिनांक 21.04.03 को उसका भाई जब मोहम्मदाबाद से फतेहगढ वापस आ रहा था तब उसकी हवाई पट्टी के पास हत्या कर दी गयी तथा वहीं पर उसका स्कूटर भी पडा हुआ मिला। इस साक्षी के साक्ष्य से यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही अपराध कारित किया गया। इस साक्षी से अथवा मृतक की पत्नी से मृतक की घटना के पूर्व बातचीत नही हुई । ऐसे में इस साक्षी को यह जानकारी नही हो सकती है कि उसका भाई कितने रुपये वसूल कर मोहम्मदाबाद से वापस आ रहा था। वादी यह स्पष्ट नही कर सका कि उसे उसके भाई के पास 80000/–रु० होने की जानकारी कहां से , कैसे और कब प्राप्त हुई। पी०डब्लू 1 द्वारा न्यायालय मे दिये गये साक्ष्य से यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक लक्ष्मीकांत गुप्ता के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या की गयी है। पी०डब्लू–1 द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप किसी भी हद तक साबित नही होते है ।

20– अभियोजन की तरफ से तथ्य के अन्य साक्षी पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार को परीक्षित कराया गया है। पी०डब्लू० 2 द्वारा भी स्वंय की मुख्य परीक्षा में मृतक लक्ष्मीकांत द्वारा दुकान मालिक दिनेश कुमार की तरफ से पैसे के तगादा एवं वसूली करने का साक्ष्य देते हुए कहा गया है कि सोमवार को लक्ष्मीकांत उर्फ सोहनलाल तगादे हेतु उसके पास आये थे। लक्ष्मीकांत की मौत की सूचना पर वह मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर गया था। जहां पर मृतक की लाश झाडियों मे पडी हुई थी । मृतक की लाश पर चोट के निशान थे। पुलिस ने उसे पंच नियुक्त किया था। उसने पंचनामा में हस्ताक्षर किये थे। पी०डब्लू२ संजीव कुमार के साक्ष्य का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि यह घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है । मृतक की हत्या की सूचना प्राप्त होने पर यह साक्षी मौके पर गया था। और वहां पर इस साक्षी द्वारा मृतक की लाश को झाडियों में पडा हुआ देखा था। इस साक्षी के समक्ष पंचनामा की कार्यवाही की गयी तथा इस साक्षी द्वारा पंचनामा में स्वंय के हस्ताक्षर किये गये थे। इस साक्षी के साक्ष्य से मात्र यह साबित होता है कि मृतक लक्ष्मीकांत घटना वाले दिन मोहम्मदाबाद पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार से तगादा करने हेतु गया था, किन्तु यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मृतक के साथ लूटपाट कर उसकी हत्या कारित की गयी हो, पी०डब्लू2 द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप किसी हद तक साबित नही होते है ।

21– अभियोजन की तरफ से राकेश सिंह को पी०डब्लू० 5 के रुप में परीक्षित कराया गया है । पी०डब्लू० 5 द्वारा न्यायालय में स्पष्ट रूप से मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न करते हुए कथन किया गया है कि दिनांक 12.06.03 को उसके द्वारा रामनरायण लोधी , श्याम सिंह व संजीव कटियार को लाल रंग की मोटरसाइकिल से गांव मे आते व चक्कर लगाते नही देखा था न ही दिनांक 21.04.03 को उसके द्वारा रामनरायण लोधी , श्याम सिंह , व संजीव कटियार को उसी लाल रंग की मोटरसाइकिल से दोपहर में कारगिल पेट्रोल पम्प पर देखा गया था। पी०डब्लू० 5 द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट कहा गया है कि उसे घटना की सूचना दिनांक 22.04.03 को अखबार के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अभियोजन कथानक का समर्थन न करने के कारण इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया, अभियोजन द्वारा उससे विस्तृत जिरह की गयी । अभि्योजन द्वारा की गयी जिरह में भी यह साक्षी अभियुक्तगण को मोटरसाइकिल से गांव में घूमते हुए तथा कारगिल प्रेट्रोल पम्प पर नही देखने के संबंध में मुख्य परीक्षा में स्वंय द्वारा दिये गये

साक्ष्य पर कायम रहा । बचाव पक्ष द्वारा की गयी जिरह में भी इस साक्षी द्वारा घटना के संबंध में उसे किसी प्रकार की जानकारी न होने का स्पष्ट कथन किया गया है । पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह द्वारा न्यायालय में दिये गये साक्ष्य से अभियोजन कथानक को किसी प्रकार का बल प्राप्त नहीं होता है ।

22– मृतक लक्ष्मीकान्त गुप्ता उर्फ सोहन के शव का पोस्टमार्टम डा० आर०के० सिंह द्वारा दिनांक 22–04–2003 को किया गया था । डा० आर०के०सिंह के न्यायालय उपस्थित न आने के कारण उनके हस्ताक्षर व लेख को साक्षी पी०डब्लू० 6 कन्हैया लाल द्वारा पहचान कर पोस्टमार्टम आख्या को प्रदर्श क 13 के रूप में साबित किया गया है । पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु स्टेगुलेशन के कारण हुयी है तथा मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की कई चोटे पायी गयी है। मृतक के शव का पंचनामा करने वाले साक्षी सी०ओ० जितेन्द्र सिंह द्वारा पंचायतनामा को प्रदर्श क 6 के रूप में साबित किया गया है। पंचायतनामा में भी मृतक के शरीर पर चोटों का उल्लेख है तथा मृत्यु का कारण मृतक के शरीर पर आयी चोटें बतायी गयी है। नक्शानजरी प्रदर्श क 5 में मृतक का शव हवाई पटटी एवं मोहम्मदाबाद जाने वाली सडक के बीच में नाली पर पाया जाना अंकित है। नक्शानजरी को विवेचक पी०डब्लू० 4 जितेन्द्र सिंह परिहार द्वारा प्रदर्श क 5 के रूप में साबित किया गया है। उपरोकत विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक लक्ष्मीकान्त गुप्ता की हत्या दिनांक 21–04–2003 को फतेहगढ–मोहम्मदाबाद रोड एवं हवाई पटटी के बीच चोटे पहुचाकर तथा गला दबाकर की गयी है तथा वहीं पर हत्या करने के पश्चात मृतक का शव एवं उसका स्कूटर छोडकर हत्या करने वाले फरार हो गए।

23– प्रस्तुत प्रकरण में घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नही है। पी०डब्लू० 1 वादी मुकदमा उमाकान्त गुप्ता , पी०डब्लू० 2 संजीव कुमार द्वारा अभियुक्तगण को हत्या करते हुए नही देखा गया था । पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह द्वारा भी अभियुक्तगण को घटना के दिन कारगिल पेट्रोल पम्प पर न देखे जाने का साक्ष्य दिया गया है। अभियोजन की तरफ से अन्य किसी तथ्य के साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। अभियुक्त श्याम सिंह को गिरफ्तार करने वाले साक्षी/विवेचक पी०डब्लू० 4 सी०ओ० जितेन्द्र सिंह परिहार द्वारा यह साक्ष्य दिया गया है कि गिरफ्तार करने के पश्चात अभियुक्त श्याम सिंह द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया था तथा यह बताया गया था कि उसने अपने साथी संजीव कटियार व रामनरायन के साथ मिलकर दिनांक 21–04–03 को मोहम्मदाबाद फतेहगढ रोड पर हवाई पटटी पर

मृतक को रोक कर उससे लूटपाट कर उसकी हत्या कर दी गयी थी। विवेचक द्वारा अभियुक्त श्याम सिंह का इकबालिया बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित नही कराया गया है तथा स्वंय की जिरह में स्पष्ट कहा गया है कि उसके द्वारा अभियुक्त श्याम सिंह का इकबालिया बयान द०प्र०स० की धारा 164 के अन्तर्गत अंकित कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था किन्तु उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित नही किया गया था। अभियोजन द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 द०प्र०स० के बयान अंकित किए जाने हेतु दिये गए प्रार्थना पत्र को साबित नही किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी पुलिस कर्मी को स्वंय के जुर्म के इकबाल के सम्बन्ध में दिया गया बयान साक्ष्य में ग्राहय नही है। पी०डब्लू० 4 द्वारा अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त श्याम सिंह की गिरफ्तारी के समय प्रस्तुत मुकदमें से सम्बन्धित किसी प्रकार का लूट का माल बरामद नही हुआ है तथा अभियुक्त श्याम सिंह की शिनाख्त पी०डब्लू० 5 राकेश सिंह से नही करायी गयी है।

24– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि मृतक लक्ष्मीकान्त गुप्ता की हत्या दिनांक 21–04–2003 को मोहम्मदाबाद–फतेहगढ रोड एवं हवाई पटटी के बीच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर उसका शव एवं स्कूटर वहीं पर छोड दिया गया किन्तु अभियोजन यह साबित करने में असफल रहा है कि मृतक के साथ मारपीट कर हत्या अभियुक्तगण द्वारा ही की गयी थी। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोप को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अभियुक्तगण को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>आदेश</u>

25– विशेष सत्र परीक्षण सं० 38/2003, 66/2003, मु०अ०स० 159/2003 में क्रमशः अभियुक्तगण श्याम सिंह उर्फ श्यामू व रामनरायन को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 302, 394 भा०द०सं० थाना–मोहम्मदाबाद के मामलें में दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानत नामे एवं बन्ध पत्र निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437A द०प्र०स० का अनुपालन एक सप्ताह में करें।

दिनांक–28.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–28.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406